

समाचार.प्रकाशनार्थरू.

ष्वान बधियाकरण 22 दिसम्बर से होगा प्रारंभ

बधियाकरण केन्द्र का गठित समिति ने किया अवलोकन

रतलाम 21 दिसम्बर । शहर में आवारा ष्वानों के बधियाकरण हेतु जुलवानिया में निर्मित किये गये बधियाकरण केन्द्र का निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के साथ गठित समिति सदस्यो ने अवलोकन कर सर्व सुविधायुक्त केन्द्र का निर्माण होने पर हर्ष व्यक्त किया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया के साथ गठित समिति सदस्यों ने संपूर्ण केन्द्र का अवलोकन किया अवलोकन के दौरान केन्द्र में सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने की मांग पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने षीघ्र कैमरे लगाये जाने के निर्देश संबंधित को दिये।

केन्द्र के अवलोकन पश्चात गठित समिति सदस्यों ने 22 दिसम्बर बुधवार से केन्द्र में षहर के आवारा ष्वानों के बधियाकरण की सहमति प्रदान की गई। षहर के आवारा ष्वानों को केन्द्र पर लाया जाकर बधियाकरण किया जायेगा व नियत समयावधि पश्चात पकड़े गये क्षेत्र में ही ष्वानों को छोड़ा जायेगा।

ज्ञातव्य है कि बधियाकरण कार्य को सुचारू रूप से करने व कार्य में पषु क्रूरता नियम 1960 की पालना को सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार द्वारा आदेशानुसार एनिमल बर्थ कन्ट्रोल ;डॉग्सरूल 2001 सब सेक्ष ;1द्व सेक्षन 38 पीणसीणण 1960 ;59 ऑफ 1960द्व डॉग्स रूल के अन्तर्गत निगरानी समिति का गठन किया गया था।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री विकास सोलंकीए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेषचन्द्र व्यासए श्री मोहम्मद हनीफ षेखए स्वास्थ्य अधिकारी श्री जीणकेण जायसवालए उपयंत्री श्री राजेष पाटीदारए श्री ब्रजेष कुषवाहए श्री मनीश तिवारीए गठित समिति सदस्य उप संचालक पषु पालन विभागए श्रीमती आषा गुप्ता ;एनिमल एक्टिविस्टद्वए श्री वेदप्रकाष सिंह ;एनिमल एक्टिविस्टद्वए सुश्री पल्लवी टांक सोष्यल वर्करए श्री प्रकाष लोढ़ा सोष्यल वर्करए श्रीमती आपरा खण्डेलवाल सोष्यल

वर्करए सुश्री षिल्पा जोषी सोष्यल वर्कर के अलावा श्री देवेष गोहेलए रजनी प्रजापति आदि उपस्थित थे।

कॉमर्स कालेज व डोंगरे नगर रोड से हटाया अतिक्रमण

अतिक्रमण हटाने के बाद 20 फीट चौड़ी हुई सड़क

रतलाम 21 दिसम्बर । कॉमर्स कॉलेज व डोंगरे नगर रोड अवैध गुमटीए ठेलेए टीन षेड हटाये जाने की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद की मांग पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कार्यवाही करते हुए उक्त स्थलों से अतिक्रमण को हटवाया।

ज्ञातव्य है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद द्वारा कॉमर्स कॉलेज व डोंगरे नगर रोड अवैध गुमटीए ठेलेए टीन षेड हटाये जाने का ज्ञापन दिये जाने पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने तत्काल नगर निगम के अतिक्रमण दल को उक्त स्थलों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार 20 दिसम्बर को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही डोंगरे नगर रोड से कॉमर्स कॉलेज रोड तक व कॉमर्स कॉलेज रोड से भवन निर्माण कला केन्द्र तिराहे तक प्रारंभ कि जो 21 दिसम्बर को दोपहर तक चली जिसके तहत 25 अवैध गुमटीए 12 ठेलेए 10 मकानों के टीन षेड व ओटलो को हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के पश्चात् सड़क की चौड़ाई में लगभग 20 फीट की वृद्धि हुई है जिससे कॉलेज आने.जाने वाले विद्यार्थियों सहित नागरिकों को आवागमन में सुविधा होगी।

अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान प्रभारी सहायक यंत्री श्री एमण्केण जैनए उपयंत्री श्री राजेन्द्र मिश्राए श्री राजेष पाटीदार व अतिक्रमण दल उपस्थित था।

मालवा नगर लक्ष्मणपुरा में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली षिविर
नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली षिविरो का आयोजन

रतलाम 21 दिसम्बर । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर 20 दिसम्बर से आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण जलकरण दुकान गुमटी किराया लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किस्त तथा भूभाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकरण 3ए28ए822ए व जलकरण 54ए850ए की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरों के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 1ए 2 व 3 के लिये 22 दिसम्बर को मालवा नगर लक्ष्मणपुरा वार्ड क्रमांक 4ए 5ए 6ए 8 व 13 के लिये 23 से 24 दिसम्बर तक अम्बे माता मंदिर जवाहर नगर वार्ड क्रमांक 4 व 5 के लिये 27 व 28 दिसम्बर को विनोबा नगर पानी की टंकी के पास वार्ड क्रमांक 5ए 6 व 7 के लिये 29 से 30 दिसम्बर तक अलकापुरी कम्युनिटी हॉल वार्ड क्रमांक 9 के लिये 31 दिसम्बर को तिरूपति नगर वार्ड क्रमांक 8 के लिये 1 जनवरी को कोमल नगर मेन रोड वार्ड क्रमांक 5ए 7 व 9 के लिये 3 से 4 जनवरी को मार्निंग स्टार स्कूल वार्ड क्रमांक 12 के लिये 5 से 7 जनवरी तक कस्तुरबा नगर सारस्वतजी के मकान के सामने वार्ड क्रमांक 12 के लिये 8 जनवरी को प्रियदर्शनी नगर वार्ड क्रमांक 11 के लिये 10 से 11 जनवरी तक को डोंगरे नगर वार्ड क्रमांक 46ए 47 व 48 के लिये 12 जनवरी को हाट रोड माताजी का मंदिर वार्ड क्रमांक 11 के लिये 13 जनवरी को कलीमी कालोनी वार्ड क्रमांक 18 के लिये 14 जनवरी को राजेन्द्र नगर वार्ड क्रमांक 14ए 15ए 46 व 48 के लिये 15 व 17 जनवरी को डॉ० मेहरा नर्सिंग होम काटजू नगर वार्ड क्रमांक 46 व 48 के लिये 18 जनवरी को वेदव्यास कालोनी वार्ड क्रमांक 22 के लिये 19 जनवरी को कल्याण नगर वार्ड क्रमांक 18ए 19 व 20 के लिये 20 से 21 जनवरी तक दीनदयाल नगर वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लिये 22ए 24 व 25 जनवरी को बोहरा बाखल वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लिये 27 जनवरी को रामगढ़ वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिये 28ए 29 व 31 जनवरी को लक्कड़पीठा प्याऊ के पास वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 1 से 3 फरवरी तक आर्य समाज मंदिर धानमण्डी वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 4 से 5 फरवरी तक जूनी कोर्ट किरण टॉकिज वार्ड क्रमांक 28ए 29ए 36ए 37 व 38 के लिये 7 से 8 फरवरी तक लॉ कॉलेज आनंद कालोनी वार्ड क्रमांक 28 के लिये 9 फरवरी को प्रताप नगर उद्यान के पास वार्ड क्रमांक 22 के लिये 10 फरवरी को महावीर नगर वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लिये 11 से 12 फरवरी तक पैलेस रोड तिराहा

वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लिये 14 फरवरी को चौगानिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लिये 15 व 16 फरवरी को शिक्षा विभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेश देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25ए 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

खुले में गंदगी करने पर 13 व्यक्तियों पर जुर्माना
मास्क नहीं लगाने पर 43 व्यक्तियों पर जुर्माना
नागरिक अनिवार्य रूप से मास्क लगायें

गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 21 दिसम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 21 दिसम्बर को 13 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर राजेन्द्र फास्ट फुड सेन्टर जवाहर नगर मुक्तिधाम रोड पर 2000ए चाय.साय टी स्टॉल 80 फीट रोड पर 1000ए एचण्केण चौधरीए सोनू पाटीदार सैलाना रोडए सुमीत पावर हाउस रोडए वीरसिंहए पवन दो बत्तीए कुलदीपए विनायकए दिलीप गोस्वामीए अमित फ्रीगंज रोड पर 100.100ए भाटीजी सैलाना रोडए प्रदीप फ्रीगंज रोड पर 50.50 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी ना करने की समझाईष दी।

इसके अलावा नगर विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क वाले 43 व्यक्तियों पर 100.100 रुपये का स्पॉट फाईन पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाईष दी गई। नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री एण्पी सिंह मोण नं 7471144930, ज्ञान प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मोण नं 7471144931, श्री किरण चौहान मोण नं 7471144932, श्री विनय चौहान मोण नं 8770535145, श्री विराट मेहरा 9770326691, स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मोण नं 7000128812, आकाश षिन्दे मोण नं 9424075393, 7724981736, मनोज झांझोट मोण नं 6268449110, राकेश ललावत मोण नं 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

नगर के विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाये

रतलाम 21 दिसम्बर। सर्द रातों में नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाल चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, पांजरा पोल, महू रोड बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, कालिका माता, नगर निगम, फायर ब्रिगेड, चांदनी चौक, गौशाला रोड पेयजल टंकी, ऋतुराज सम्पवेल सहित नगर के विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं चौराहों पर गत रात्रि अलावा जलाये गये।

20 दिसम्बर को 87 टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहुचा

रतलाम 20 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे^अ चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 20 दिसम्बर सोमवार को 87 टन से अधिक कचरा जुलवानिया टे^अ चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

20 दिसम्बर सोमवार को डम्पर से 34305 ए टे^अ कटर से 14975 ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 19595 व काम्पेक्टर गीला कचरा 18725 किलो इस तरह कुल 87600 किलो कचरा जुलवानिया टे^अ चिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

6470 पेंशन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

पेंशन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

रतलाम 21 दिसम्बर । रतलाम शहर के सामाजिक सुरक्षाए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशनए राष्ट्रीय विधवा पेंशनए राष्ट्रीय निःशक्त पेंशनए सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशनए विधवा पेंशनए निःशक्त पेंशनए मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके तहत 21 दिसम्बर मंगलवार तक 6470 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 6477 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

नगर निगम द्वारा पेंशन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे नगर निगम के आईटी सेल में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवायें।

2529 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

स्वरोजगार ऋण से 79 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 21 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हें संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2399 हितग्राहियों को राशि रूपये 10ए000६ तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 130 हितग्राहियों को राशि रूपये 20ए000६ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 76 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक आधार कार्ड पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 21 दिसम्बर । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड सागोद रोड महु रोड ए स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 21 दिसम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों ए दुकानदारों ए व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 21 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 21 दिसम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डों की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के

ढेरए नाले.नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निशठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारःजसंविण्हेमन्तः21ण12ण2021ःनणपाणनिगमए रतलामण